Services Housing Co-operative Society Limited

Ashok Nagar,Ranchi-834002
E_Mail – support@ashoknagarranchi.com

आज दिनांक 13.07.2025 को निदेशक मण्डल की बैठक डॉ0 माधव शरण सिंह की अध्यक्षता में आहूत हुई । इस बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1–	डॉ0 माधव –	अध्यक्ष –	उपस्थित
2–	श्री के0 पी0 पाण्डेय	उपाध्यक्ष–	अनुपस्थित
3–	श्री अनिल शंकर	अ0 सचिव	अनुपस्थित
4–	श्री शंकर प्रसाद वर्मा	सं0 सचिव	अनुपस्थित
5–	श्री बसंत कुमार भट् टाचार्य	निदेशक	उपस्थित
6–	श्री प्रताप सिंह –	निदेशक	उपस्थित
7–	डॉ0 श्रीमति रीता लाल–	निदेशक	अनुपस्थित
8–	श्रीमति शोभा कुमारी –	निदेशक	अनुपस्थित
9–	श्रीमति कृष्णा श्रीवास्तव	निदेशक	अनुपस्थित
10–	डॉ0 श्रीमति जुबी जेन केशरी	निदेशक	उपस्थित
11–	श्रीमति गुंजन सिंह,	मनोनित निदेशक	उपस्थित

कार्यावली संख्या–1– पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय की सम्पुष्टि की गई ।

कार्यावली संख्या–2– सोसाईटी अभियंता द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर **G.S.T. Bill** के साथ 50 (पचास) अदद स्ट्रीट लाईट क्रय करने का निर्णय लिया गया। यह स्ट्रीट लाईट निदेशक मण्डल के सदस्यों की अनुशंसा पर लगाया जायेगा तथा निकटतम सदस्यों से हस्ताक्षर कराकर सम्पुष्टि करायी जायेगी ।

कार्यावली संख्या–3– अपीलवाद संख्या 11/23 में सर्वसम्मति से निदेशक मण्डल के सदस्य श्री प्रताप सिंह को अधिकृत करते हुए यह निर्णय लिया गया कि वे संयुक्त निबंधक के न्यायालय में सोसाईटी का पक्ष रखेंगे तथा वस्तुस्थिति से निदेशक मण्डल को अवगत करायेंगे ।

कार्यावली संख्या–4– कराये गये कार्यो के भुगतान के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–5– म्यूटेशन फेज–**II** कार्य हेतु जमानत की राशि के विरूद्ध अग्रिम भुगतान करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या–6– **S.I.S.** का तीन माह के बकाये राशि का जो नियमित भुगतान है, इसपर किसी प्रकार का रोक न्यायालय द्वारा नही है । इसका भुगतान अविलम्ब करने का निर्णय लिया गया ।

कार्यावली संख्या—7— **Solar Light Installation** का निर्णय निदेशक मण्डल एवं निविदा समिति द्वारा लिया गया है । अधिष्ठापन हेतु आदेश भी निर्गत किया गया है। अवैतनिक सचिव द्वारा पुनः कार्य को रोक दिया गया है । बोर्ड के निर्णय का अनुपालन करना अवैतनिक सचिव की जिम्मेवारी है । उनके द्वारा निर्गत पत्र 137 दिनांक 25/05/2025 को बोर्ड द्वारा रद्द किया जाता है ।

कार्यावली संख्या—8— श्रीमति जुगनू श्रीवास्तव, सदस्य 236/बी द्वारा समर्पित प्रत्यार्पण प्रपत्र दिनांक 26.06.2025 को कार्यालय को प्राप्त हुआ । उस प्रत्यार्पण की स्वीकृति हेतु एजेन्डा में रखा गया । किन्तु प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि प्रत्यार्पण प्रपत्र अवैतनिक सचिव द्वारा लेकर बन्द कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा स्वीकृति नही प्रदान की जा सकी । क्रेता बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए । अगली बैठक में स्वीकृति पर विचार किया जायगा ।

कार्यावली संख्या—9— श्री धनेश्वरी प्रसाद, सदस्य 14/सी की मृत्यू के फलस्वरूप उनके द्वारा किये गये नामांकण के आधार पर उनकी पत्नी श्रीमति ~~पूनम~~ उन्दु प्रसाद के नाम से पारिवारिक सदस्यता हस्तानान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

कार्यावली संख्या—10— श्रीमति झरना चक्रवर्ती, सदस्य 470/सी के निधन के फलस्वरूप उनके द्वारा किये गये नामांकण के आधार पर उनके पुत्र श्री अनिरूद्ध चक्रवर्ती के नाम से पारिवारिक सदस्यता हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

कार्यावली संख्या—11— श्री महादेव भगत जायसवाल, सदस्य 220/सी द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी पत्नी श्रीमति कुसुम देवी के नाम से पारिवारिक सदस्यता हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

कार्यावली संख्या—12— श्री आशुतोष कुमार, सदस्य 314/बी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमति शुभ्रा कुमार, पुत्री सूश्री राधिका प्रसाद एवं पुत्री सूश्री रोहिणी कुमार के नाम **Successive** नामांकण की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

कार्यावली संख्या—13 — श्रीमति शकुन्तला सिन्हा, पूर्व सदस्य 361/ए द्वारा अपनी दो पुत्री संगीता कुमार, सुजाता कुमार एवं पुत्र श्री राकेश कुमार के नाम संयुक्त नामांकण पर विचार किया गया ।विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्गत पत्र, जिसके द्वारा **Membership Transfer** किया गया है, बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नही है। उक्त पत्र को विलोपित कर संशोधित पत्र निर्गत किया ाय एवं श्रीमति शकुन्तला सिन्हा को **Associate Member** के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया गया ।

180

कार्यावली संख्या– 14– श्री जयन्त कुमार, सदस्य 127/सी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमति उषा देवी एवं पुत्र श्री नीरज सिन्हा के नाम **Successive** नामांकण की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

कार्यावली संख्या–15– श्री राजीव बनर्जी, सदस्य 253/सी द्वारा अपने चचेरे भाई के एकल नामांकण को **Bye-Laws** की उपविधि **9(i)** के अनुसार इस शर्त के साथ दी गयी कि उनका आवेदन संचिका पृष्ट 117 पर रक्षित है, के आधार पर एक शपथ पत्र एवं अपने चचेरे भाई का आधार एवं **Address Proof, Mobile no.** उपलब्ध करायेंगे।

अन्यान्य –(क) बोर्ड के बैठक की सूचना अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया है, जिसकी सूचना निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों, अवैतनिक सचिव सहित दिया जाता है। अवैतनिक सचिव बैठक में भाग नही लेते हैं और अध्यक्ष द्वारा निर्गत बैठक की सूचना को **B.O.D.** एवं अध्यक्ष के संज्ञान में लाये बिना रद्द करने की सूचना निर्गत करते हैं, जो अमान्य है । बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पत्रांक 160 दिनांक 12.06.2025, पत्रांक 179 दिनांक 12.07.2025, पत्रांक 181 दिनांक 13.07.2025 को निदेशक मण्डल द्वारा रद्द करते हुए अमान्य करार किया जाता है ।

(ख) सोसाईटी के अन्दर जा विभिन्न प्रकार के कार्य किये गये हैं, एवं अवशेष कार्य को पूरा कराने **Supplementary Agreement** कराने का निर्णय लिया गया । **Supplementary Agreement** पर अध्यक्ष की अनुमति से निदेशक बसंत कुमार भट्टाचार्य एवं सोसाईटी अभियंता संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे ।

(ग) दिनांक 08.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन यथाशीघ्र करने का निर्णय लिया गया । बोर्ड के निर्णय के आलोक में विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार, झारखण्ड उच्च न्यायालय से निबंधक, सहयोग समितियाँ के न्यायालय से अपीलवाद संख्या 5/25 एवं 11/25 में निर्गत अंतरिम आदेश दिनांक 22.05.2025 के पारा 39 में उद्धृत आदेश के आलोक में विधि परामर्श प्राप्त किया गया । विधि परामर्श के आलोक में सोसाईटी के क्रियाकलापों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु सर्वसम्मत निर्णय लिया जाता है, कि अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक में उपलब्ध कराया गया है । वर्तमान् परिस्थिति में अध्यक्ष एवं निदेशक मण्डल के दो सदस्य (1) श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य एवं (2) प्रताप सिंह के संयुक्त हस्ताक्षर से वित्तीय कार्य यथा बैंक एकाउन्ट का संचालन, नितिगत मामलों के संचिकाओं का निष्पादन किया जायेगा । इसकी सूचना निबंधक, सहयोग समितियाँ, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी को भी दी जायेगी ।

यह भी निर्णय लिया गया कि सोसाईटी का जहाँ भी बैंक खाता है, कार्यवाही की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए नमूना हस्ताक्षर बैंक संचालन हेतु भेजने का निर्णय लिया जाता है ।

निदेशक मण्डल में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि निबंधक न्यायालय के अपीलवाद संख्या 5/25 एवं 11/25 के अंतरिम आदेश तथा अपीलवाद संख्या 11/23 जिसमें वादी द्वारा **Co-operative Socieity Rule 14/2** के महिला आरक्षण के बावत उठाये गये प्रश्न पर भी एक **Plaint** सहकारिता विभाग से सम्बन्धित विशेषज्ञ विद्वान अधिवक्ता श्री मृणाल कान्ति राय से तैयार कराया जाय। इस कार्य हेतु उनका **Professional Fee** सोसाईटी द्वारा भुगतान करने का निर्णय लिया गया ।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

13/07/25	13.7.25	13/7/25	13/07/2025
प्रताप सिंह	गुंजन सिंह	डॉ0 जुबी जैन केशरी	बसंत कुमार भट्टाचार्य
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

(डॉ0 माधव)
अध्यक्ष